

दिल्ली विकास प्राधिकरण

विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

(वेबसाइट <http://dda.org.in>)

साक्षात्कार के लिए विज्ञापन

विज्ञापन सं.: 5/2016/ भर्ती प्रकोष्ठ

डीडीए छः माह की अवधि के लिए आरंभ में अल्प अवधि के लिए शुद्ध रूप से संविदात्मक आधार पर परामर्शदाता के रूप में सहायक निदेशक (नियोजन) की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है जिसे डीडीए की आवश्यकता और अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर निर्भर करते हुए और आगे बढ़ाया जा सकता है।

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या					न्यूनतम शैक्षिक / व्यावसायिक योग्यता	अधिकतम उम्र के रूप में	अनुभव	प्रस्तावित पारिश्रमिक	साक्षात्कार का स्थान, तिथि तथा समय
1	सहायक निदेशक (नियोजन)	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जन जाति	ओबीसी	कुल	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समकक्ष से नगर/कस्बा/शहरी योजना में परा-स्नातक डिग्री; 2. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान या समकक्ष से वास्तुशिल्प/शारीरिक योजना/नागरिक अभियांत्रिकी में परा-स्नातक की डिग्री। वांछनीय नागरिक योजना संस्थान (भारत) के संयुक्त सदस्य या समकक्ष।	40	शून्य	40000/-	विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली - 23 16.12.2016 11:00 बजे (10:00 बजे तक रिपोर्ट करने के लिए)
		4	1	1	1	07					

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश:-

- 1 पद अस्थायी हैं और इनकी नियुक्ति आरंभ में 6 महीनों की अवधि के लिए शुद्ध रूप से परामर्शदाता के आधार पर होगा जिसे और आगे बढ़ाया जा सकता है और ये अभ्यर्थियों को उक्त पदों पर स्थायी नियुक्ति के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। अभ्यर्थियों को अनुरोध किया जाता है कि वे विधिवत भरे गए आवेदन-पत्र (निर्धारित प्रारूप में), 2 पासपोर्ट आकार के छायाचित्र और प्रलेखों की प्रतिलिपियों के एक सेट के साथ, सभी मूल प्रलेखों को शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के समर्थन में साथ लेकर आएँ।

- 2 चयन के मापदंड में सम्मिलित होगा, पद के लिए आवश्यक अनिवार्य शिक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के साथ-साथ अभ्यर्थी द्वारा अपने अनिवार्य शिक्षा में प्राप्त अंकों को वरीयता देते हुए योग्यता को आँका जायेगा और साक्षात्कार के लिए आवेदकों द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित हो जाने की स्थिति में डीडीए के पास प्रत्याशित अभ्यर्थियों द्वारा अनिवार्य शिक्षा में प्राप्त अंकों पर एक न्यूनतम सीमा प्रतिशत को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस सम्बन्ध में, स्थल पर ही निर्णय लिया जायेगा, इस संबन्ध में किसी तरह के प्रतिनिधित्व पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 3 डीडीए अपने कर्मचारियों के निम्नलिखित श्रेणियों को दर्ज करने के लिए आवेदकों को शुद्ध रूप से अल्प अवधि के संविदात्मक आधार पर आवेदनों को आमंत्रित करता है, जिसे डीडीए की आवश्यकता और अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर निर्भर करते हुए और आगे बढ़ाया जा सकता है।

आयुक्त (कार्मिक)

दिल्ली विकास प्राधिकरण
विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

(वेबसाइट <http://dda.org.in>)

विज्ञापन सं. : 6/2016/Rectt.Cell

डीडीए छः माह की अवधि के लिए आरंभ में अल्प अवधि के लिए शुद्ध रूप से संविदात्मक आधार पर कर्मचारी के रूप में निम्नलिखित श्रेणियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करता है जिसे डीडीए की आवश्यकता और अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर निर्भर करते हुए और आगे बढ़ाया जा सकता है।

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या					न्यूनतम शैक्षिक / व्यावसायिक योग्यता	अधिकतम उम्र के रूप में	अनुभव	प्रस्तावित पारिश्रमिक
		सामान्य	अनु. जाति	अनु. जन जाति	ओबीसी	कुल				
1	विधि सहायक	16	1	1	2	20	बार में (ख) 03 वर्षों का अनुभव तथा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से विधि में डिग्री।	30	3 वर्ष	30000/-
2	सहायक लेखा अधिकारी	16	1	1	2	20	वित्तीय नियंत्रण / एमबीए (वित्त) या समकक्ष में सीए/सीएस/आईसीडब्ल्यू/मास्टर।	30	शून्य	35000/-

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश:-

नोट: अभ्यर्थी को दिनांक: 19.12.2016 को 5 बजे शाम तक निर्धारित प्रारूप में बायो-डाटा भेजना होगा। वे प्रपत्र को विधिवत रूप से टंकण के माध्यम से भरकर, निर्धारित आवेदन पत्र में उपलब्ध किये गए रिक्त स्थान में अपने छायाचित्र को चिपकाकर एवं उपलब्ध किये गए निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करके उसकी स्कैन की हुई प्रतिलिपि को **पीडीएफ या जेपीईजी प्रारूप** में ईमेल पते: **डीडीआरसी@डीडीए.ओआरजी.इन** पर भेजेंगे।

- 1 कृपया उपरोक्त उल्लेखित ईमेल आईडी पर आवेदन-पत्र की स्कैन की हुई प्रतिलिपि भेजते समय कोई भी प्रतिलिपि संलग्न ना करें। यदि आवेदक को बुलाया जाता है तो उनसे साक्षात्कार के समय मूल/सहायक प्रलेखों को प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
- 2 ईमेल के माध्यम से बायो-डाटा भेजने का अर्थ यह नहीं है कि आवेदक को अनिवार्य रूप से साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। केवल उन अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा जिनको डीडीए द्वारा आविष्कृत मापदंड के अनुसार, संपन्न किये जाने वाले कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाया जाता है। इस सम्बन्ध में, ईमेल या फ़ोन द्वारा किये गए किसी भी तरह के संवाद पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- 3 साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान को बाद की तिथि में सूचित किया जायेगा।
- 4 साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता प्रदान नहीं किया जायेगा।

आयुक्त (कार्मिक)